Rajasthan Police Academy

सत्यमेव जयते

Security, Justice & Peace

Volume -1 Oct. to Dec., 2013

Rajasthan Police Acade

News Letter

इस अंक में ...

शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि
पुलिस आपके द्वार
शहीद दिवस पर रक्तदान
यातायात प्रबन्धन की चुनौतियाँ
सूचना का अधिकार पर कार्यशाला

निदेशक की कलम से ...

समाज में हो रहे परिवर्तनों का असर पुलिस व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। वर्तमान समय में पुलिस को प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परम्परागत अपराधों के स्थान पर आर्थिक अपराधों में अधिक वृद्धि हो रही है। संगठित गिरोह पुलिस के लिए एक चुनौती बन रहे हैं। आजकल साईबर व इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले अपराध अधिक होने लगे हैं। इन अपराधों का प्रभाव शहर के लोगों पर ही नहीं है अपितु छोटे कस्बे एवं गांवों में भी लोगों को इन अपराधो का शिकार बनाया जा रहा है। पुलिस की परम्परागत अनुसंधान शैली में इस प्रकार के अपराधो के अनुसंधान के कम अवसर प्राप्त होते थे। वर्तमान समय में प्रत्येक पुलिस अधिकारी को साईबर व इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले अपराधों की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी अनुसंधान की तकनीकी एवं नवीन विधाओं को सीखना होगा। आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप बनने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी को व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। इससे न केवल पीड़ित व्यक्तियों को राहत मिलेगी अपितु पुलिस पर अक्षम होने की तोहमत भी नहीं लगेगी। पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए आधुनिक अपराधों की अनुसंधान विधाओं को आधारभूत प्रशिक्षण में शामिल करने के अतिरिक्त विशिष्ट कोर्सेज के माध्यम से भी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस दिशा में अब तक की प्रगति पर्याप्त नहीं है तथा कम पढ़े-लिखे पुलिसकर्मियों को आधुनिक अनुसंधान विधाओं में निपुण बनाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। वस्तुतः कोई भी चुनौती इतनी विराट नहीं हो सकती, जिस पर विजय पाना संभव नहीं हो।

राजस्थान पुलिस अकादमी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अनुसंधान की नवीन चुनौतीयों पर वर्षभर अनेक प्रशिक्षण आयोजित करवा रही है। इस निमित बी.पी.आर.एण्ड.डी. तथा अन्य विभागों से आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन लिया जा रहा है। विषय विशेषज्ञों के चयन में भी पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है तथा विशिष्ट कोर्सेज में सम्पूर्ण देश से श्रेष्ठ विशेषज्ञ बुलवाने का प्रयास किया जाता है। पुलिस को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप बनाने के लिए हम निरन्तर सुझाव आमंत्रित करते रहते हैं। किसी भी स्तर से प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार कर उन्हें यथार्थ में उतारने का प्रयास किया जाता है। पुलिस विषयों पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

भगवान लाल सोनी
निदेशक

शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि

प्रतिवर्ष देश में 21 अक्टूबर को पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। यह समारोह पूर्ण गरिमा के साथ सम्पन्न किया जाता है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित इस कार्यक्रम में इस वर्ष भी गत एक वर्ष में कर्तव्यपालन के दौरान प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस संगठनों के जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सभी जिला मुख्यालयों पर भी शहीद दिवस का आयोजन किया जाता है। पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक को सुन्दर रूप से सजाया गया। समारोह सुबह 8:00 बजे महानिदेशक पुलिस श्री हरीश चन्द्र मीना, के आगमन से शुरू हुआ जिनका सम्मान गार्ड द्वारा जनरल सल्यूट से अभिवादन किया गया। गार्ड कमाण्डर द्वारा परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किये जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया गया। महानिदेशक द्वारा इस अवसर पर अपने उद्बोधन में शहीद दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए पुलिस में वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा लेने के मकसद से हर पुलिस संगठन व संस्थान में पुलिस शहीद दिवस मनाये जाने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस के इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परम्पराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक पुलिस अधिकारी दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा करते हुए वीर गति प्राप्त करते हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर उन्होंने गत एक वर्ष में शहीद होने वाले अधिकारियों एवं जवानों के नाम भी पढ़े। पुष्प चक्र अर्पित करने वालों में महानिदेशक पुलिस, श्री हरीश चन्द्र मीना के अतिरिक्त सेवानिवृत महानिदेशक पुलिस श्री देवेन्द्र सिंह एवं केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी तथा अकादमी के निदेशक, श्री भगवान लाल सोनी एवं पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री भूपेन्द्र दक भी थे। इस अवसर पर सेवानिवृत अराजपत्रित अधिकारी ने भी शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस वर्ष पूरे देश में कुल 578 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी कर्तव्यपालन के दौरान शहीद हुये। राजस्थान से कानि0 श्री राजेन्द्र सिंह, कानि0 श्री योगेन्द्र सिंह कर्तव्यपालन के दौरान शहीद हुये। शहीद दिवस परेड का नेतृत्व सुश्री शालिनी राज पुलिस उपअधीक्षक प्रशिक्षु द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात् जवाहर लाल नेहरू मार्ग स्थित त्रिमूर्ति शहीद स्मारक पर भी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धासुमन अर्पित किये गये। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस में कार्यरत अधिकारी एवं सेवानिवृत अधिकारी व कर्मचारी एवं मीडियाकर्मी शहीदों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि के साक्षी बने।

पुलिस आपके द्वार

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विभिन्न कच्ची बस्तियों में जाकर वहां के नागरिकों से संवाद व समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। अकादमी के निदेशक द्वारा विभिन्न दल गठित किये गये जिसमें श्री शशिकांत जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मारवाड़ी कच्ची बस्ती और विधायकपुरी कच्ची बस्ती का 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक भ्रमण किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारी, प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षु शामिल हुये। इन कच्ची बस्तियों के भ्रमण के दौरान वहां जनसम्पर्क कर लोगों को पुलिस के कार्य की जानकारी प्रदान की गई तथा उनकी प्रमुख समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस को इन कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याओं को जानने का अवसर प्राप्त हुआ तथा समन्वय व संवाद के माध्यम से समस्याओं के निदान का मार्ग तलाश करने का प्रयास किया गया।

कच्ची बस्ती जवाहर नगर में श्री दीपक भटनागर, उप अधीक्षक पुलिस, श्री ज्ञानसिंह, कम्पनी कमाण्डर तथा श्री गुमनाराम, प्रशिक्षु (आरपीएस) पुलिस ने उपस्थित लोगों को पुलिस द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता की जानकारी प्रदान की। उन्होंने समझाया कि पुलिस वर्दीधारी जनता है तथा जनता बिना वर्दीधारी पुलिस है। दोनों में तालमेल एवं सहयोग नितान्त जरूरी है। उन्हें बताया गया कि पुलिस बीट प्रणाली, सी.एल.जी. शांति समिति, नियमित गश्त, अपराधों की रोकथाम, अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही आदि के माध्यम से जनता के बीच बेहतर सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रथम सूचना पंजीबद्ध कराने की प्रक्रिया से लेकर न्यायालय में होने वाले विचारण तक के विभिन्न पहलूओं पर जनता से जानकारी साझा की तथा उन्हें प्रकरणों में बिना हिचक के गवाही देने की समझाईश की गई। उन्हें बताया गया कि कई बार गवाहों के बयान बदल देने के कारण भी न्याय नहीं मिल पाता है।

पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को अन्य विषयों के संबंध में भी बताया गया, जिसमें

शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, आंगबाड़ी कार्यक्रम आदि की जानकारी के साथ ही नशाखोरी के दुष्प्रभावों को समझाते हुए नशामुक्ति के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। उक्त सभा में सामाजिक बुराईयों यथा बाल विवाह, जादू–टोना, अंधविश्वास, कन्याभ्रूण हत्या, लड़की के साथ भेदभाव, बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, परिवार नियोजन, जुआ–सट्टा, वेश्यावृति तथा मानव तस्करी से संबंधित कानूनी प्रावधानों की सरल शब्दों में समझाईश की गई। उन्हें इन बुराईयों से दूर रहने तथा इस प्रकार की घटनाओं की अविलम्ब सूचना देने के लिए भी कहा गया। उन्हें यौन अपराधों के कानूनी अपराधों तथा पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के अधिकारों के संबंध में भी सरल भाषा में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि पुलिस एवं जनता के सहयोग से ही पीड़ित को न्याय तथा अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य किया जा सकता है। महिलाओं के संरक्षण एवं घरेलू हिंसा से निवारण के सम्बन्ध में उन्हें समझाया गया। थाने में महिला डेस्क व महिला परामर्श केन्द्र आदि की भी उन्हें जानकारी प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम के दौरान कच्ची बस्ती सर्वे प्रश्नावली तैयार की गई। इस सर्वे में विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। सर्वे में परिवार के सदस्यों का विवरण, शिक्षा, विभिन्न प्रकार के व्यसन एवं उनकी आदतें, कच्ची बस्तियों में चलने वाले अवैध कार्य, उनकी इन अवैध कार्यों के प्रति

जागरूकता, बाल विवाह आदि के बारे में जानकारी के साथ ही परिवार नियोजन, टोने–टोटके, महिला शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति, बुजुर्गो के प्रति देखभाल एवं सम्मान, मोबाईल आदि से परेशान करने आदि की घटनाओं तथा बस्ती की आपराधिक समस्या से संबंधित प्रश्न रखे गये। इस प्रश्नावली में पुलिस थाना, बीट, सीएलजी सदस्यों के नाम, समस्या होने पर पुलिस को सूचना, दुर्घटना की स्थिति में पुलिस को सूचना, पुलिस के प्रति रवैया, पुलिस के प्रति अनुभव, पुलिस के नियमित आगमन, गश्त, सूचना पर पुलिस की प्रतिक्रिया, पुलिस सम्पर्क के दौरान कुछ बुरा अनुभव, पुलिस द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने संबंधी वाक्या, पुलिस को मददगार समझने एवं पुलिस द्वारा दी जाने वाली मदद के संबंध में प्रश्न पूछे गये।

उक्त सर्वे के दौरान यह बात सामने आई कि कच्ची बस्ती में लोगों में बच्चों की शिक्षा, छोटे परिवार के फायदे, लड़का–लड़की के विवाह के कानूनी प्रावधान, बुजुर्गों की सेवा, नशे से नुकसान, जुआ–सट्टा, अपराध होना आदि के बारे में सामान्य जानकारी हैं एवं जागरूक हैं। पुलिस गश्त, 108 सेवा, अग्निशमन सेवा, थाने में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया आदि के बारे में लोगों में सामान्य जानकारी पायी गयी। इस सर्वे के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि अधिकांश लोगों को थाने के फोन नम्बर, बीट कानि0 का नाम, सीएलजी सदस्यों के नाम की जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने पुलिस के साथ किये गये सहयोग के खराब अनुभव भी बताये। बस्ती में प्रमुख समस्या जुआ–सट्टा, चोरी, शराबियों द्वारा उत्पात करना बताई गई। महिलाओं द्वारा शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री होने का जिक्र किया गया, जिसके कारण उन्हें विशेष समस्या का सामना करना पड़ता है। कच्ची बस्ती में शराब व नशे की समस्या ज्यादा बताई गई। इस समस्या के निदान के लिए उन्हें एल्कोहल एनोनिम्स संस्था के श्री मनु व विवेक से सम्पर्क करवाया गया ताकि लोगों को शराब व नशे से मुक्ति के लिए समझाईश की जा सके।

Events Captured

शहीद स्मृति सप्ताह का आयोजन

इस वर्ष शहीदों को दी जाने वाली श्रद्धांजलि के रूप में एक अनूठी पहल की गई तथा शहीद स्मृति सप्ताह दिनांक 17.10.2013 से 21.10.2013 तक आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। दिनांक 17.10.2013 को ''रक्तदान से जीवनदान'' कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें रक्तदान से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाकर रक्तदान से संबंधित भ्रांतियां दूर की गई। सवाई मानसिंह अस्पताल के ब्लड बैंक शाखा के प्रभारी चिकित्सक ने अकादमी के ऑडिटोरियम में रक्तदान के संबंध में व्याख्यान दिया। उन्होंने रक्तदान की विभिन्न भ्रांतियों का यथार्थ समझाते हुए सभी को रक्तदान करने का आह्वान किया। रक्तदान से जीवनदान कार्यक्रम श्री शशिकान्त जोशी, सहायक निदेशक के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर दिनांक 18.10.2013 को ''याद उन्हें भी कर लें'' नाटक का मंचन एवं गीत माला प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी प्रशिक्षणार्थियों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नाटक एवं गीत माला से संबंधित व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण की जिम्मेंदारी श्री दीपक भार्गव, सहायक निदेशक ने संभाली, जिनकी सहायतार्थ डॉ. रूपा मंगलानी, सुश्री वीणा शास्त्री निरीक्षक एवं श्री जितेन्द्र कुमार कम्पनी कमाण्डर को लगाया गया। दिनांक 19.10.2013 को मल्टीपरपज हॉल में 2:30 से 5:30 पी.एम. तक ड्राइंग, पेंटिंग व पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका विषय देश व समाज में पुलिस की भूमिका रखा गया। इस आयोजन के पर्यवेक्षण के लिए श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया, सहायक निदेशक को लगाया गया। साथ ही श्री दीपक भार्गव एवं श्रीमती नीलिमा पंचोली, उप निरीक्षक भी आयोजन में शामिल हुये। दिनांक 21.10.2013 को त्रिमूर्ति सर्किल से वन प्रशिक्षण संस्थान जवाहर लाल नेहरू मार्ग तक रन टूगेदर प्रतियोगिता प्रातः 07:00 बजे से 08:00 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें समस्त आरपीएस प्रशिक्षणार्थी व स्टाफ के लोग शामिल हुये। इस आयोजन की जिम्मेदारी श्री आलोक श्रीवास्तव सहायक निदेशक, श्री लक्ष्मण सिंह मण्डा सहायक निदेशक, श्री चन्दाराम उप अधीक्षक तथा श्री जितेन्द्र कुमार व श्री ज्ञानसिंह कम्पनी कमाण्डर को दी गई।

दिनांक 21.10.2013 को सायं 4:00 से 4:45 बजे तक सेन्ट्रल बैण्ड राजस्थान पुलिस अकादमी ने ऑडिटोरियम में देशभक्ति गीतों की धुनें सुनाकर सभी उपस्थित जन को भाव विभोर कर दिया।

शहीद दिवस पर रक्तदान

राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रतिवर्ष शहीद दिवस पर रक्तदान करने की एक परम्परा बन चुकी है। अकादमी ही नहीं राजस्थान पुलिस के अन्य प्रशिक्षण संस्थान तथा जिले भी अब अकादमी की इस परम्परा का अनुकरण कर रक्तदान करने लगे हैं। इस पुनीत कार्य में अकादमी के प्रशिक्षु ही नहीं उच्च अधिकारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। शहीदों की शहादत को वास्तविक नमन् बलिदान या रक्तदान जैसे महादान से ही किया जाना श्रेष्ठ परम्परा कही जा सकती है। राजस्थान पुलिस इस कार्य में अब जनसेवक के रूप में निरन्तर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इससे न केवल हमारी सामाजिक संवेदना की अभिव्यक्ति होती है अपितु सामाजिक सरोकार एवं प्रतिबद्धता भी परिलक्षित होती है। देश सेवा का जज्बा इन छोटे–छोटे कार्यों से ही शुरू होता है। अकादमी में इस वर्ष 200 लोगों ने शहीद दिवस पर रक्तदान कर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।

पुलिस की समाज में सकारात्मक छवि बनाने के लिए पुलिसकर्मियों को निरन्तर उन कार्यों की तरफ बढ़ना होगा, जो पुलिस व जनता के बीच समरसता की भावना को बढ़ावा देते हों। पुलिस प्रशिक्षण में पुलिसकर्मियों को जनता की निष्पक्ष एवं बेहतर सेवा करने की शपथ दिलाई जाती है। शपथ के अनुरूप ही उन्हें मृदु कौशल एवं प्रॅाएक्टिव पुलिसिंग के प्रशिक्षण के माध्यम से जनता से बेहतर संवाद एवं तालमेल बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

अकादमी निदेशक का राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सम्मान

महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार, अपहरण एवं हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधीन विशेष टास्क फोर्स का गठन दिनांक 22.01.2013 से किया गया है। उक्त विशेष टास्क फोर्स ने राजस्थान पुलिस अकादमी में जेण्डर एज्यूकेशन पर निरन्तर चलाये जा रहे विभिन्न कोर्सेज को महिलाओं के कल्याण के लिए बेहद सराहनीय कार्य माना है। इन कोर्सेज से पुलिस अधिकारियों को महिलाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं कानूनी पहलूओं की जानकारी प्रदान कर उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जेण्डर संवेदनशीलता एवं कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर निरन्तर कार्यशालाऐं आयोजित करवाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न प्रयास अकादमी में जारी हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिनांक 19.10.2013 को "Role of woman in Peace and Non-Violence and Responsibility Of Police, Paramilitary and Armed Forces" विषय पर आयोजित संगोष्ठी विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में अकादमी के निदेशक तथा अकादमी में पदस्थापित विभिन्न महिला अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुये। इस अवसर पर अकादमी के निदेशक, श्री भगवान लाल सोनी को अकादमी द्वारा जेण्डर एज्यूकेशन पर चलाये जा रहे विभिन्न कोर्सेज व अन्य प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की धर्म पत्नी श्रीमती गुरूशरण कौर द्वारा सम्मानित किया गया। एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमीनार में निदेशक महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण भी दिया गया जिसे विभिन्न राज्यों व केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों व जवानों द्वारा सराहा गया।

यातायात प्रबन्धन की चुनौतियाँ

जीवन में अनायास होने वाली घटनायें कभी–कभी बहुत बड़ा सच बयां कर देती हैं। जयपुर के रामबाग चौराहे पर हरी बत्ती हो चुकी थी। एक महिला अपनी गाड़ी को घबराहट में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही थी और गाड़ी बार–बार बंद हो रही थी। पीछे से अन्य वाहन होर्न पर होर्न दिये जा रहे थे। महिला की झुंझलाहट व घबराहट बढ़ती जा रही थी। पास ही खड़ा यातायात का सिपाही पूरा माजरा समझ चुका था। उसके आने पर महिला ने स्पष्ट किया कि आज मैं दूसरी गाड़ी लेकर आई हूँ, इसलिए बार–बार बंद हो रही है। सिपाही ने कहा 'मैडम घर बैठे ड्राईविंग लाईसेंस मंगवाओगे, तो गाड़ी बन्द ही होगी'। हमारे यहां पर ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए दलाल और प्रभाव दोनों काम में आते हैं। इससे भी बढ़कर बात यह है कि बहुत से लोग, जिनमें कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, बिना लाईसेंस ही गाड़ी चलाते हैं। अनेक कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जाती है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु किसी भी बीमारी से ज्यादा हैं। आतंकवादी घटना में मृत्यु की संभावना किसी भी व्यक्ति के लिए सड़क दुर्घटना में मारे जाने से कई हजार गुणा कम है। विश्व में प्रतिवर्ष 1.3 मिलियन लोगों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है। भारत में प्रतिदिन चार सौ व्यक्ति दुर्घटना में मरते हैं तथा एक हजार व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं। भारत में प्रतिदिन आठ हजार व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं। अतः यातायात प्रबंधन जीवन रक्षा के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है।

पुलिस मुख्यालय में दुर्घटनाओं पर गंभीर मंथन किया जाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रयास किये जाते रहे हैं। मुख्यालय स्तर पर अनेक सर्कूलर जारी किये जाकर फील्ड में पदस्थापित अधिकारियों को दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिये गये हैं। इन प्रयासों के बावजूद भी सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के स्थान पर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यातायात पखवाड़ा एवं पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनायें रोकने के लिए किये जा रहे प्रयास कम पड़ते नजर आ रहे हैं। सम्पूर्ण देश में यातायात प्रबन्धन के लिए समान नीति बनाये जाने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि वही व्यक्ति वाहन चलाये, जो वाहन चलाने में निपुण हो। ड्राईविंग लाईसेंस में भी विभिन्न श्रेणियाँ हैं तथा दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन तथा चार पहिया वाहन में भी हल्का और भारी वाहन के लिए अलग–अलग ड्राईविंग लाईसेंस की व्यवस्था की गई है। जब एक व्यक्ति सड़क पर वाहन लेकर निकलता है तो अगर वह वाहन चलाने में निपुण नहीं है तो वह न केवल स्वयं को खतरे में डालता है अपितु वह सड़क पर चलने वाले अन्य वाहन चालकों और व्यक्तियों के लिए भी खतरा है। हमारे यहां पर ड्राईविंग लाईसेंस देने में अगर पूर्ण ट्रायल लेकर ड्राईविंग लाईसेंस दे दिया जावे तो भी एक वाहन चालक में स्टेरिंग नियंत्रण के अलावा भी बहुत सारी बातें होनी चाहिए, जो मात्र उसके पांच मिनट के ट्रायल में नहीं देखी जा सकती है। ड्राईविंग लाईसेंस व्यवस्था कैसी हो, इस पर शोध किया जाकर वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही ड्राईविंग लाईसेंस देने की व्यवस्था की जाये तथा बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाते हुए पाये जाने पर कठोर दण्ड के लागू किये जाने से समस्या से कुछ हद तक निजात पायी जा सकती है।

भारत में यातायात प्रबन्धन एक प्रमुख चुनौती है। इस प्रमुख चुनौती का एक पहलू यह भी है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु से दस गुणा ज्यादा संख्या घायलों की होती है। कई बार गंभीर दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को महीनों उपचार करवाना पड़ जाता है। कई व्यक्ति अपने हाथ–पांव या सिर की चोट के कारण जीवन भर कमाने–खाने लायक नहीं रह पाते हैं तथा परिवार पर एक बोझ बनकर रह जाते हैं। यह समस्या यदि घर के कमाने वाले व्यक्ति के साथ हो जाये तो पूरा परिवार भारी आर्थिक संकट में फंस जाता है। सम्पूर्ण सुखी परिवार अवसाद ग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार का असहाय व्यक्ति न केवल परिवार के लिए एक जिम्मेदारी हो जाता है अपितु वह समाज एवं देश के लिए भी अनुपयोगी हो जाता है। हम अपनी मानव संपदा को स्वस्थ व सुरक्षित रखें इसके लिए हमें गंभीर प्रयास करने चाहियें।

कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान पुलिस द्वारा 'सेविंग 2000 लाईव्ज' का लक्ष्य रखा गया था। उस समय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उच्च स्तर पर गंभीर मंथन हुआ था। इस दिशा में अनेक प्रयास भी हुये। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ट्रेफिक का पद भी सृजित है। अकेले जयपुर में एक पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी तथा दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त बड़ी संख्या में यातायात के अधिकारी और कर्मचारी यातायात नियंत्रण के लिए पद स्थापित हैं। प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी यातायात पुलिस बल में पद बढ़ाये गये हैं। जयपुर में यातायात निरीक्षक शिक्षा का भी पद रखा गया है जो विभिन्न विद्यालयों में जाकर यातायात नियमों की जानकारी छात्रों को प्रदान करता है।

हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, सड़कों का खराब रख–रखाव, सड़क निर्माण में अभियांत्रिकी दोष, कम पढ़े लिखे ड्राईवर, शराब पीकर व नशे की हालत में वाहन चलाना, अनुपयुक्त वाहन चलाना, ट्रेफिक सेन्स का अभाव, कम पढ़ी लिखी जनता एवं अन्य अनगिनत कारण हैं। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की तुलना विकसित देशों से की जाये तो हमारे पास दुनियाँ के जितने प्रतिशत वाहन हैं उसकी तुलना में सड़क दुर्घटनाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। हमें विकसित देशों में कम सड़क दुर्घटनाओं के कारणों को जानकर भारत में भी समान तरह की यातायात व्यवस्थाएँ बनानी होंगी।

शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की भिन्न परिस्थितियां हैं। राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के कारण शहर की सड़क दुर्घटनाओं से लगभग भिन्न होते हैं। सड़क पर वाहनों के बढ़ते दबाव के लिए पूर्व में ही योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। अत्यधिक भीड़–भाड़ वालें स्थानों पर जन हानि की संभावना लगभग नगण्य रहती है। खुली सड़कों पर तेज गति के कारण जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ड्राईवर की निर्णय एवं बुद्धि क्षमता का भी दुर्घटना से सीधा सम्बन्ध है।

सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ते वाहनों एवं ढुल–मुल नीति के कारण दुर्घटनाओं पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होगा। इसके लिए कारगर नीति एवं प्रयास जरूरी हैं। प्रत्येक स्थान पर यातायात नियंत्रण के लिए भिन्न व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। हाईवे पर होने वाले दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटना संभावित स्थानो की पहचान की जाकर समुचित व्यवस्था की जाकर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। हाईवे पर दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण अधिक गति या अधिक भार, खराब मौसम, धुँध, थकान, अचानक आवारा पशुओं का सामने आना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, खलासी या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना, लोगों द्वारा अनाधिकृत सड़क पर कट निकालकर गाड़ी निकालना आदि कारण हैं। छोटे शहरों एवं कस्बों में जीप तथा अन्य साधनों से सवारी ढ़ोने का काम किया जाता है। कई बार ड्राईवर गाड़ी की क्षमता से तीन–चार गुणा सवारियां भर लेते हैं तथा ड्राईवर स्वयं अपनी सीट से हट कर गाड़ी चलाते हैं, जिससे वाहन पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में सर्वाधिक जनहानि होती है। डिपर का उचित प्रयोग नहीं करना एवं हाई बीम में गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट तथा हेलमेट नहीं लगाना व गलत ओवर टेक करना भी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। वाहन चलाते हुए मोबाईल पर बातें करना तथा वाहन चलाते हुये किसी अन्य बात में खो जाना भी दुर्घटना के कारण है। शहरों में जवान लड़कों द्वारा लहराकर तेज गति से दुपहिया वाहन चलाने से भी दुर्घटनायें होती हैं। अनुचित स्थान पर यू टर्न का प्रयोग भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तकनीकी प्रयोग से ड्राईविंग में सफल या विफल घोषित किये जाने के साथ ही दुर्घटना या लापरवाही करने वालों के लाईसेंस पंच कर व भारी जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। एक से अधिक बार नशे में अथवा बिना लाईसेंस वाहन चलाते पाये जाने पर 6 माह के लिए लाईसेंस से निलम्बित करने का प्रावधान भी होना चाहिये। ड्राईवर की बौद्धिक क्षमता का परीक्षण उचित तरीके से किया जाना चाहिये।

जगदीश पूनियाँ, आर.पी.एस.

पुलिस रिचिंग आउट टू दी माईनॉरिटीज पर कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19.12.2013 से 21.12.2013 तक 'पुलिस रिचिंग आउट टू दी माईनॉरिटीज' विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में श्री ए.आर. खान, सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ने साम्प्रदायिक तनाव के कारणों तथा ऐसी स्थितियों में पुलिस द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा समय–समय पर आयोजित जुलुस एवं जलसों के कारण पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है तथा इस प्रकार के जुलुस दूसरे सम्प्रदाय के क्षेत्र से गुजरते हैं तो आपसी तनाव की स्थितियाँ ज्यादा बढ़ जाती हैं। धार्मिक स्थानों के आस पास भी निरन्तर गतिविधियाँ होती रहती है तथा कई बार कब्रिस्तान या शमशान की भूमि पर अतिक्रमण या इन स्थानों के लिए सार्वजनिक जमीन पर कब्जे के कारण भी विवाद उत्पन्न हो जाते है। उन्होंने बताया की सम्पति विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यवसायिक द्वेषता, स्थानीय मसले, चुनाव, अन्तरजातीय विवाह और कभी–कभी बच्चों के खेलने की बात पर भी आपसी झगड़े हो जाते है। उन्होंने बताया कि लड़कियों से छेड़छाड़, जुआ सट्टा, गौवंश व सूअर को लेकर, क्रिकेट को लेकर एवं सोशियल साइट्स पर की गई टिप्पणियों को लेकर भी कई बार तनाव की स्थिति बन जाती है। पुलिस को चाहिये कि इस प्रकार के मसलों पर विशेष निगरानी रखे तथा निरन्तर गली मौहल्लों में उनकी उपस्थिति नजर आनी चाहिये। थाना क्षेत्र की डेमोग्राफिक पिक्चर उनके पास होनी चाहिए तथा सम्प्रदाय विशेष की बस्तियों में विशेष निगरानी रखी जानी चाहिये। धार्मिक स्थान तथा अन्य स्थान जहाँ विवाद होने की सम्भावना हो उनकी वीडियोग्राफी रखनी चाहिये ताकि विवाद होने की स्थिति में साक्ष्य के रूप में उनका उपयोग किया जा सके। प्रत्येक थानें में धार्मिक त्यौहारों एवं उत्सवों, प्रतिवर्ष निकलने वाले जुलूसों, शराब की दुकानों, जुऐ के अड्डों आदि की सूची के साथ ही किस समय किस प्रकार का इन्तजाम लगाया जाना है, पर पूर्ण विचार कर व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रत्येक थाना क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की सूची भी रहनी चाहिये जो प्रायः उन्माद को जन्म देते है। इस प्रकार के लोगों को सी.एल.जी. सदस्य बनाया जाकर तथा उनसे समय–समय पर मुलाकात कर स्थितियों पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। बालिका विद्यालयों के आस–पास विद्यालय खुलने एवं बन्द होने के समय इन्तजाम लगाकर, स्थानीय मद्दगार लोगों की सूची बनाकर आपसी स्नेह एवं भाईचारें को बढ़ावा देकर तथा प्रोएक्टिव पुलिसिंग के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते है।

राजस्थान माईनोरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा राजस्थान के सन्दर्भ में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि विश्व के सात बड़े धर्मों में से चार धर्मों की उत्पति हिन्दुस्तान में हुई। उन्होंने भाषा एवं नस्ल के आधार पर अल्पसंख्यक होने के साथ ही अन्य कारणों से भी अल्पसंख्यक होने को परिभाषित किया। प्रोफेसर आर. एल. राठी ने भारतीय संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकारों के विषय में प्रतिभागियों से जानकारी साझा की तथा पुलिस की अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा में भूमिका को परिभाषित किया। श्री इकराम राजस्थानी ने अपने सम्भाषण में बताया कि हमें समाज को बाँटने की जरूरत नहीं है तथा अपराधी को किसी जाति या समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिये। हमें सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए अपने व्यवहार में मधुरता लाने की आवश्यकता है।

श्री डी.सी.जैन महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेन्ज ने पुलिस रिचिंग आउट टू दी माईनॉरिटीज विषय का वृहत् अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य आपराधिक कानून को स्थापित करना है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग शांतिपूर्ण परिस्थितियों में कर सके। उन्होंने पुलिस के कार्य में निष्पक्षता पर बल देते हुये ''न्याय

शांति का प्रथम न्यास है,'' के सिद्धान्त के अनुसार काम करने पर बल दिया। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुये बताया कि न्याय नहीं होने की स्थिति में असंतोष उपजता है और असंतोष ही नक्सलवाद, माओवाद या आतंकवाद के फैलने का कारण बनता है। उन्होंने विभिन्न सम्प्रदायों के बीच मतभेदों के कारणों में नकारात्मक परिस्थितियों तथा व्यक्तिगत दुर्भावनाओं आदि का उल्लेख करते हुये आपसी विश्वास की कमी को दूर करने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान से सुनने, अच्छा व्यवहार करने, उनका विश्वास जीतने, निरन्तर संवाद करने तथा चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी श्रेष्ठ परिणाम देने पर बल दिया। अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस को नवाचारों के प्रयोग के साथ ही व्यवसायिक दृष्टिकोण, दुर्भावनापूर्ण आचरण का त्याग, आपसी सम्मान के साथ ही निष्पक्ष सेवाप्रदाता एवं कानून को पालन करने वाले की भूमिका में रहना चाहिये।

श्री भगवान लाल सोनी निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी ने अल्पसंख्यकों में विश्वास बहाल करने के विभिन्न तरीके बताये तथा इसके लिए उन्होंने अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बाबरी मस्जिद पर आये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समय दोनों पक्षों को निर्णय पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देने की वचनबद्धता लिये जाने को उस समय शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने व्यवस्था बनाये रखने के लिए आयोजकों के स्वयंसेवक लगाने, अन्तरसामुदायिक समारोह आयोजित करने, सोच–समझकर एवं विनम्र व्यवहार करने, अपनी बुरी आदतों का त्याग करने तथा हमारे सकारात्मक कार्यों की जानकारी जनता तक पहुँचाने को साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए महत्त्वपूर्ण बताया। कार्यशाला के अन्तिम सत्र में पुलिस एवं अल्पसंख्यक, आपसी विश्वास पर संयुक्त संवाद हुआ जिसमें श्री खालीद उस्मानी, फादर बिशप ऑश्वाल्ड लुईस, श्री नाथ सिंह सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी के साथ ही कार्यशाला के प्रतिभागियों ने भी विषय पर विचार साझा किये। श्री खालीद उस्मानी ने पूरे पुलिस बल को इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने पर बल दिया, जहाँ प्रत्येक सहायता के लिए आने वाला व्यक्ति पुलिस को अपना रक्षक समझे। फादर बिशप ऑश्वाल्ड लुईस ने घटना विशेष की जिम्मेदारी सम्पूर्ण सम्प्रदाय पर डालने को गलत बताया तथा भीड़ द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की बढ़ती हुई घटनाओं पर नियन्त्रण लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री नाथ सिंह ने बताया कि कभी–कभी थाने पर सन्तरी परिवादियों को सही सलाह नहीं देते हैं। उन्होंने सभी पदों के अधिकारियों को अपनी–अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने पर बल दिया।

सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला के दौरान जामा मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च एवं अमरापुरा स्थान पर ले जाया जाकर संवाद के माध्यम से विभिन्न धर्मों की प्रमुख बातों एवं धार्मिक स्थलों की जानकारी प्रदान की गई।

अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करना पुलिस की जिम्मेदारी है क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में भविष्य में भी अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालायें बीपीआरएण्डडी के सौजन्य से करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

आज विश्व के अनेक देशों के लोग आपसी झगड़ों एवं उन्माद में अपनी शक्ति जाया कर रहे है। देश का विकास तुच्छ भावनाओं एवं उन्माद की बलि नहीं चढ़ना चाहिये। सम्पूर्ण नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारण्टी निष्पक्ष व्यवहार से ही दी जा सकती है। प्रत्येक नागरिक में देश के प्रति अनुराग पैदा करने का और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। पुलिस का आचरण पूर्ण रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिये।

थिंक पॉजिटिव एण्ड कान्ट्रीब्यूशन टू वर्क : विषयक तीन दिवसीय प्रशिक्षण

पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में सॉफ्ट स्किल्स के विकास हेतु एक अभिनव प्रयास दिनांक 23–25 दिसम्बर, 2013 को ''थिंक पॉजिटिव एण्ड कान्ट्रीब्यूशन टू वर्क'' विषयक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कर किया गया। इस कार्यशाला में उप निरीक्षक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के विभिन्न जिलों से आये 51 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी सत्रों में कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच एवं तनाव निवारण से सम्बन्धित विविध सत्र रखे गये।

निजी क्षेत्र में विभिन्न उद्यमों में विशेषज्ञ दिल्ली के प्रशिक्षकों श्री रामेश्वर प्रकाश एवं सुश्री डॉ0 पूनम पूनियाँ द्वारा दिनांक 23.12.2013 से 24.12.2013 को जीवन्त उदाहरणों एवं खुले विचार विमर्श के माध्यम से 'पॉजिटिव एटीट्यूड एण्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्विस' विषय पर प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभागियों को चार समूहों में विभक्त कर ब्रेन स्ट्रोमिंग एवं रोल प्ले के माध्यम से कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की विविध विधाओं को सिखाया गया।

दिनांक 25 दिसम्बर 2013 को आयोजित किये गये तीन सत्रों में प्रोफेसर एन.डी. माथुर द्वारा सेल्फ मॉटिवेशन एण्ड क्रिऐटिविटी फॉर स्ट्रेस फ्री वर्क, डॉ. तजुंल सक्सेना द्वारा 'बर्निंग स्ट्रेस थ्रू सेल्फ डिसिप्लीन' एवं डॉ0 शिव गौतम द्वारा स्ट्रेस फ्री लाइफ स्किल्स विषयक बहुआयामी एवं लाभदायक विषयक विषयों का प्रशिक्षण एवं विचार विमर्श का आयोजन किया गया।

प्रतिभागियों ने पुलिस सेवा में विद्यमान तनाव के विभिन्न कारणों एवं निवारण के उपायों पर गहन चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यशाला में कार्यस्थल पर सकारात्मक सोच हेतु, सकारात्मक नजरिया, श्रेष्ठ सम्प्रेषण शैली, व्यवहार कुशलता, रचनात्मकता तनाव के चिकित्सकीय आयाम एवं उसके निवारण के उपाय बताये। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं शंकाओं के उत्तर दिये।

प्रशिक्षण के दौरान प्रबन्धन के सिद्धान्त, कार्यस्थल पर श्रेष्ठ परम्पराओं एवं परिवेश पर व्याख्यान तथा मृदु कौशल से सम्बन्धित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों द्वारा क्रिसमस के अवसर पर केक काटकर उल्लास पूर्वक त्यौहार को मनाया गया।

कार्यशाला के प्रत्येक सत्र में निदेशक अकादमी स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का संदेश देते हुए पुलिस के व्यस्त जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को अतिशय जरूरी बताया।

कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फेकल्टी ऑन सॉफ्ट स्किल पर कार्यशाला

अकादमी में पद स्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में प्रोफेसर डॉ0 सुषमा सिंघवी अध्यक्ष राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर ने व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जितना त्वरित गति से करता है, वह उतना ही अधिक ध्यान उस कार्य में लगाता है। उन्होंने बताया कि अध्यापक आज एक सेवा प्रदाता है जिसमें जिज्ञासा होना अतिशय जरूरी है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्किल अन्तःकरण से प्रेरित होनी चाहिए तथा हमें अपने कार्य को पूर्ण रुचि लेकर करना चाहिए। पूर्व के स्वभाव एवं वृतियाँ अगर अनुचित हो तो हमें उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए तथा चेतन के प्रति अनुराग होना चाहिए एवं जड़ में रूचि नहीं होनी चाहिए। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में Media Language & Police पर बोलते हुये प्रोफेसर संजीव भानावत विभागाध्यक्ष, सेन्टर फॉर मास कम्यूनिकेशन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने भाषा के महत्व को समझाते हुये शब्द सामर्थ्य के लिए शब्दों से दोस्ती करने पर बल दिया। उन्होंने शब्दों के दुरूपयोग को अनुचित बताते हुये हमें किस शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे, सीखने का महत्व समझाया। उन्होंने पुलिस एवं मीडिया के बीच बेहतर सम्बन्धों पर बल दिया तथा पुलिस एवं मीडिया के निष्पक्ष भाव को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस के नाम से जनता में भय पैदा नहीं होना चाहिए।

कार्यशाला में Creativity and Excellence पर बोलते हुये प्रोफेसर डॉ0 एन.डी. माथुर ने कहा कि पुलिसकर्मी जितनी मेहनत करते हैं, उसकी तुलना में उन्हें कम सम्मान प्राप्त होता है। इसका कारण उन्होंने समस्याओं से निपटते समय कुछ पुलिसकर्मियों का व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपने सम्मान को बहाल करने के लिए नये तरीके सोचने होंगे तथा समय के साथ परिवर्तन करने से ही यह सम्भव हो सकता है। जिन लोगों ने समय से पूर्व सोचा वो जमानें में आगे निकल गये तथा जिन्होंने आराम करने की आदत डाल ली वो पीछे रह गये। हम परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। प्रोफेसर माथुर ने आधुनिक संसाधनों के साथ तालमेल रखने पर बल दिया तथा कहा कि अगर आप शिखर पर रहना चाहते है तो आपको हर बात में रचनात्मक होना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने वेल्यू एडिशन पर भी बल दिया। इस कार्यशाला में डॉ. हरि सिंह सोलंकी, श्री सी.एम. शारदा एवं मोहम्मद ईलियास हास्य क्लब जयपुर ने जीवन में हंसने का महत्व समझाते हुये हंसने के गुर सिखाए।

कार्यशाला के अन्तिम दिवस पर श्री इकराम राजस्थानी ने अपने शायराना अन्दाज में Importance of Literature पर व्याख्यान देते हुये बताया कि अच्छी तालिम से ही अच्छा हिन्दुस्तान बनेगा। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम सोच समझकर बनाये जाने चाहिये। जब–जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब–तब साहित्य उसे सहारा देगा। उन्होंने कहा पुलिस समाज की धमनी है तथा समाज इन धमनियों कि सहायता से सांस लेता है। प्रशिक्षण के अन्तिम सत्र में डॉ. प्रतिभा जैन शिक्षाविद एवं पूर्व डीन राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर ने व्यख्यान देते हुये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उन्होंने अभिव्यक्ति की कला को प्रत्येक शिक्षक के लिए आवश्यक बताते हुये आलोचनात्मक विवेचन को आवश्यक बताया जो दूसरे लोगों को सोचने के लिए प्रेरित कर सके। उन्होंने सकारात्मक सोच तथा स्वयं का महत्व समझने पर भी बल दिया। उन्होंने प्रेरक व्यक्तित्व बनकर पुरुषार्थ की परम्परा को आगे बढ़ाने का सन्देश दिया।

सूचना का अधिकार पर कार्यशाला

राजस्थान पुलिस अकादमी में ''कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर बैटॅर इम्पलीमेंटेशन ऑफ आर.टी.आई'' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि अक्सर राज्य सूचना आयोग में हमारे सामने यह तथ्य आता है कि पुलिस का रिकॉर्ड अन्य विभागों की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित रहता है। यह श्रेष्ठ कार्य सम्पादन का एक अच्छा लक्षण है लेकिन अब यह भी आवश्यक है कि पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में सूचना के अधिकार के अनुकूल परिवर्तन लाया जाये। आर.टी.आई. की पारदर्शिता से हमें सुशासन को सदृढ़ करना चाहिए। व्यापक लोकहित के महत्व की बातों को हम समय – समय पर खुद उजागर करें। रिकॉर्ड कानून, लोक सेवा गारण्टी कानून, राईट टू हियरिंग – इन सभी कानूनों को सदृढ़ बनाकर आपस में जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आर.टी.आई कानून सूरज की रोशनी की तरह पारदर्शिता के लिए हमारे शासन के ढाँचे की तन्दुरूस्ती के लिए जरूरी है।

दिनांक 7 एवं 8 मई 2013 को आयोजित इस कार्यशाला में लोक सूचना अधिकारियों एवं उनके सहायक अधिकारियों को शामिल किया गया जिसमें विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल थे। दो दिन की कार्यशाला में 8 तकनीकी सत्र आयोजित किये गये, जिनमें सूचना के अधिकार के कानून के सैद्धान्तिक आयामों के साथ सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों, केन्द्रीय एवं राज्य लोक सूचना आयोगों के महत्वपूर्ण निर्णयों तथा मुख्य वेबसॉइट आदि पर व्यापक विचार एवं अनुभवों का आदान–प्रदान किया गया।

कार्यशाला के मुख्य बिन्दुओं में सूचना के अधिकार का औचित्य, विश्व एवं देश में सूचना के अधिकार का इतिहास, सूचना के अधिकार कानून 2005 के मुख्य प्रावधान, कानून की धारा 4(1) के तहत स्वतः सूचना प्रकटीकरण के प्रावधान, तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रकटीकरण एवं आवश्यक कार्य प्रक्रिया, सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 के तहत सूचना प्रकट न किए जाने की श्रेणियाँ अथवा अपवाद, धारा 7 के तहत सूचना के अधिकार आवेदनों का निपटारा एवं सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु लिए जाने वाले शुल्क के नियम, कानून की अनुपालना न होने पर प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी की भूमिका, लोक सूचना अधिकारी के उत्तरदायित्व एवं भूमिका, लोक प्राधिकरण के उतरदायित्व एवं भूमिका, कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए सूचना की संस्कृति का विकास, कुशल रिकॉर्ड संधारण एवं रिकॉर्ड नष्ट करने के नियम, सूचना के अधिकार कानून की अद्यतन जानकरी हेतु आर.टी.आई. पोर्टल एवं महत्वपूर्ण वेबसॉइटें, सूचना के अधिकार कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की श्रेष्ठ प्रक्रियों पर व्याख्यान एवं विचार–विमर्श किया गया।

प्रतिभागियों ने पुलिस विभाग में कानून की सुगम अनुपालना में आने वाली समस्याओं पर विस्तार से विचार–विमर्श किया। अतिथि व्याख्याताओं द्वारा कानून की धारा 6(3), केस डायरी देने अथवा न देने, कानून की धारा 10 के तहत पृथकरणीयता, निजी सूचना, कानून की समयबद्धता आदि विषयों को विस्तार से स्पष्ट किया। कानून के प्रभावी निष्पादन के लिए बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जयपुर (पूर्व) एवं राजसमन्द की विजयापुरा ग्राम पंचायत द्वारा उठाये गये कदमों पर चर्चा की गई तथा पुलिस में पारदर्शिता को सम्भव बनाने के इन उपायों को पुलिस की सभी शाखाओं में लागू करने की सम्भावनाओं की रूपरेखा बनायी गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों से व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय किया गया कि यदि सूचना के अधिकार के आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करना है तो हमें फाइल ट्रेकिंग सिस्टम, तकमीने का संधारण, करने के साथ–साथ इस कार्य हेतु पृथक सेल बनाना होगा।

वस्तुतः विश्व के जिन 93 देशों में यह कानून लागू है, उनमें भारत का कानून सबसे मजबूत माना जाता है। वर्ष 2007–2008 के राष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार

आवेदनों की 2 लाख की संख्या आज बढ़कर 5 लाख तक पहुँच चुकी है। पुलिस विभाग में भी सूचना के अधिकार आवेदनों की संख्या बढ़ी है। कानून के क्रियान्वयन में सूचनाएँ उपलब्ध करवाये जाने से सामान्य जन एवं लोक प्राधिकरण के बीच संवाद कायम हुआ हैं।

राष्ट्रीय सूचना के अधिकार कानून लागू होने के 7 वर्ष उपरान्त कानून की प्रगति एवं कार्यान्वयन के अनुभवों के लेखे–जोखे पर विचार मंथन के दौरान कार्यशाला में इस बात पर सहमति हुई कि इस कानून ने पारदर्शिता की संस्कृति को हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का अंग बनाया है। अनेक प्रतिभागियों द्वारा इस प्रगतिशील कानून के व्यापक महत्व के विषयों पर प्रयोग की आवश्यकता को इंगित किया। इस कानून का जिम्मेदारी से प्रयोग का कर्त्तव्य, धारा 4(1) की अनुपालना, सूचना प्रदाताओं का समय–समय पर प्रशिक्षण एवं नागरिकों द्वारा भी कानून को सफल बनाये जाने के लिए सहयोग देना आवश्यक माना गया है।

इन सत्रों में पूर्व सूचना आयुक्त एम.डी. कोरानी ने कहा कि सूचना प्रदाताओं को कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की पूर्ण जानकारी एवं सम्बन्धित वैधानिक निर्णयों का ज्ञान कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्षम बनाता हैं। राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार शैलेन्द्र अग्रवाल ने आयोग एवं न्यायालयों के निर्णय की जानकारी सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक बताई। सेवानिवृत आई.जी. (जेल) राधाकान्त सक्सेना ने कहा कि कानून की मंशा नागरिकों की मदद एवं व्यवस्था में सुधार की है। सूचना एवं रोजगार मंच के श्री कमल टॉक ने कहा कि सूचना के अधिकार के सकारात्मक रूप से नागरिकों एवं शासन की संस्थाओं में नये सम्बन्धों का सूत्रपात हुआ है। कार्यशाला में श्री ए.के ओझा, सूचना आयोग के जे. सचदेवा ने कानून के महत्वपूर्ण पक्षों आयोग के निर्णयों, केस लॉज की जानकारी दी एवं प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री के रूप में प्रकाशित 'सूचना का अधिकार सार संग्रह' तथा आयोग के महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रतिभागियों को उपलब्ध करवाये गये।

8 मई, 2013 को आयोजित समापन सत्र में सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देते हुए अकादमी के निदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने पुलिस विभाग में इस कानून के प्रभावी क्रियान्वन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण एवं आवेदनों के समय पर निस्तारण से नागरिकों को राहत देने पर बल दिया। उन्होंने इस कानून को तकनीकी के साथ जोड़ने की आवश्यकता बताते हुए कर्मचारियों की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं ईमानदारी को महत्वपूर्ण बताया। कानून के अपवादों को छोड़कर सार्वजनिक दायरे में आने वाली सूचनाओं को दिया जाना चाहिए। कानून का निष्पादन सफलतापूर्वक तभी हो सकता है जब हम कानून के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कानून को लागू करें। सुशासन के लिए पारदर्शिता लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सूचना क्रान्ति के युग में रह रहे हैं। थाने से लेकर मुख्यालय तक रिकॉर्ड संधारण, पेजिंग, जिलों की बेवसॉइट पर अधिकतम सूचना एवं क्राइम रिकॉर्ड डालने से हमारी कार्यप्रणाली में सुधार होगा। इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। सूचना के अधिकार के युग में पुलिस संगठन अपने विभाग में श्रेष्ठ प्रक्रियाएँ विकसित करे।

विनय पत्र

राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लेटर चार वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा निरंतर आपकी सेवा में समर्पित है। अकादमी का प्रयास अकादमी की गतिविधियों की जानकारी के अतिरिक्त विभिन्न पुलिस विषयों पर जानकारी प्रदान कर फील्ड में पद स्थापित अधिकारियों की क्षमता–संवर्धन भी रहा है।

हमारी सफलता आपके सहयोग एवं सुझावों पर निर्भर है। अतः अपने सुझाव हमें निरंतर प्रेषित करते रहें।

संपादक

Nation First

Editorial Board

Editor in Chief
Bhagwan Lal Soni, IPS, Director

Editor
Jagdish Poonia, RPS

Members
Deepak Bhargava (AD)
Alok Srivastav (AD)
Shashikant Joshi (AD)
Anukriti Ujjainia (AD)
Laxman Singh Manda (AD)

Photographs By Sagar
Type By Koshalya

Rajasthan Police Academy
Nehru Nagar, Jaipur (Rajasthan) India
Ph.: +91-141-2302131, 2303222, Fax : 0141-2301878
E-mail : policeresearchrpa@yahoo.com Web : www.rpa.rajasthan.gov.in

Printed at : NJSP, Jaipur # 0141-2365721